न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प रीवा (म.प्र.)

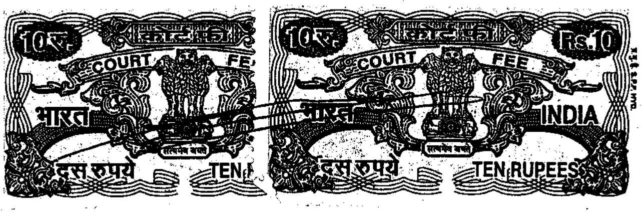

श्री आर.पी. पाण्डेय एड. द्वारा पेश 24.7.14

R. 2508-II/14

प्रेमलाल सोनी पिता स्व. श्री प्रागशरण सोनी उम्र 75 साल नि. ग्राम बुरहट तह. बुरहट जिला सीधी म.प्र. === निगरानी कर्ता/ आवेदक

407
24.7.14

ब ना म

1:- बाल्मीक सोनी पिताश्री राममनोहर सोनी

2:- रामानुज सोनी पिताश्री राममनोहर सोनी

3:- सम्पत्ति सोनी पिताश्री तीरथप्रसाद सोनी

4:- केदार सोनी पिताश्री तीरथप्रसाद सोनी

5:- रामकिशोर पिताश्री तीरथप्रसाद सोनी

6:- मुसं0 नोहरी बेबा चन्द्रशेखर सोनी

7:- मुसं0 लोली बेबा चन्द्र शेखर सोनी

8:- शिवदीन पिता चन्द्रशेखर सोनी

9:- रामप्रसाद पिताश्री चन्द्रशेखर सोनी

10:- मुसं0 शान्ती बेबा रमेश कुमार सोनी

11:- सुखनन्दन पिताश्री रमेश कुमार सोनी

12:- रामशरण पिता श्री रमेश कुमार सोनी

13:- महेश पिताश्री मोहन लाल सोनी

क्रमांक 2579

सभी निवासी ग्राम बुरहट थाना व तहसील बुरहट जिला सीधी म.प्र.

आज प्राप्त

—— गैर निगरानीकर्ता/ अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर सीधी म.प्र. के ए.डी.सी. प्रकरण क्रमांक- 60/निगरानी/010-2011 के आदेश दिनांक 11.7.2014.

क्रमशः 2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R2508-न/14 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-9-15	प्रकरण ग्राह्यता के बिन्दु पर आदेश हेतु लिया गया। 2. निगरानीकर्ता द्वारा अपर कलेक्टर, सीधी के प्र०क्र० 60/निगरानी/10-11 आ० दि. 11-7-14 के विरुद्ध यह निगरानी दायर की गई है। निगरानी ज्ञापन के साथ प्रभावाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है। 3. मामला सारतः यह है कि गैर निगराकार द्वारा भूमि के बटवारे के लिए तहसीलदार के न्यायालय में दावा दायर किया गया था। जिसमें निगराकार द्वारा बटवारे का विरोध करते आपत्ति की गई। आपत्ति में यह उल्लेख किया गया कि इन भूमियों से आवेदक (और निगराकार) का कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसका बटवारानामा पूर्व में हो चुका है एवं जिसके विरुद्ध राजस्व मण्डल ग्वालियर में अपील विचाराधीन है। 4. तहसीलदार द्वारा दिनांक 21-01-11 को यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अनावेदक ऐसा कोई अभिलेख पेश नहीं किया गया कि जिससे यह स्पष्ट हो कि इन भूमियों के सम्बन्ध में राजस्व →	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि... आदि के हस्ता...
	→ मण्डल में मामला विचाराधीन हो। फलतः, आपत्ति निरस्त करते हुए बटवारा फर्द प्राप्त करने हेतु मामला नियत किया गया। यह भी लेख किया गया कि आवेदक वादित भूमि के सहभूमिस्वामी है। सहभूमि- स्वामी को अपने स्वत्वानुसार बटवारा कराने की पात्रता है। 5. निगरानीकर्ता द्वारा तहसीलदार के उक्त आदेश पारित दिनांक 21.1.11 के विरुद्ध अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी दायर की गई, जिसमें तहसीलदार के उक्त निष्कर्ष को उचित मानते हुए निगरानी निरस्त कर दी गई, जिससे व्यथित होकर इस न्यायालय में यह निगरानी दायर की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा राजस्व मण्डल के मामला क्र. 225-III/08 अ. दि. 13.3.08 की छायाप्रति पेश की गई है जिसमें पेशी दिनांक 13-5-08 अंकित है। इसके पश्चात क्या कार्यवाही हुई इसकी बाबत कोई जानकारी नहीं हो रही है। इस प्रकार विचारण न्यायालय में राजस्व मण्डल के उक्त मामला →	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.2808-नि/14 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	→ का आश्रय लेकर आपत्ति की गई थी, किन्तु माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आगे क्या कार्यवाही की गई, उसकी विषय वस्तु क्या थी, ऐसा स्पष्ट नहीं हो रहा है।	
	6. अपर कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 11.7.14 में उक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए निगरानी खारिज की गई है, जो सर्वथा उचित है। वैसे भी तहसीलदार चुरहट के न्यायालय में सह भूमिस्वामियों का खाते के बटवारे के लिए प्रचलित प्रकरण में अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है, ऐसा उक्त आदेश में वर्णित है।	
	7 उपरोक्त वस्तुस्थिति के आलोक में यह निगरानी प्रचलन योग्य न होने से इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।	
(हस्ताक्षर)	8. प्रकरण पंजी से खारिज किया →	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं [illegible] आदि के हस्ताक्षर
	→ जाय एवं आदेश प्रति अधीनस्थ न्याया-लय को भेजी जाय। तत्पश्चात प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जाय। अध्यक्ष	